न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/163

रामदेव पुत्र कल्याणनाथ निवासी ग्राम मानपुरा पंचायत डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान।

–अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज आत्मज लटूर निवासी ग्राम भामर तहसील नैनवां जिला बून्दी
2. दीपक आत्मज लटूर अल्पव्यस्क जरिये वली माता मांगीबाई पत्नी लटूर निवासी ग्राम भामर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मांगीबाई पत्नी लटूर निवासी ग्राम भामर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामरतन आत्मज चुन्नीलाल निवासी ग्राम भामर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामलाल आत्मज चुन्नीलाल निवासी ग्राम भामर तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. श्योजी आत्मज सेठनाथ ग्राम मानपुरा पंचायत डोडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.10.2024

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 46/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) व धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 603 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 2747 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा संख्या 2753 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है जिस पर वादीगण वर्तमान में काबिज रहकर कृषि करती चली आ रही है। ग्राम

अपील संख्या 2024/163
रामदेव बनाम गिर्राज वगै0

बांसी पटवार मण्डल बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 550 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 2754 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के अकेले के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता खसरा संख्या 2756 आम रास्ते से होते हुये वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2754 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे खसरा संख्या 2754 में होता हुआ खसरा संख्या 2753 में पहुंचता है । जिसमें होकर ही वादीगण आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा वादीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मौके पर मौजूद रास्ते का नजरी नक्शा परिशिष्ठ "अ" पृथक से वाद के साथ सलग्न है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के खातेदार प्रतिवादी रामदेव ने प्रतिवादी 2 से एक राय करके वादीगण के इस रास्ते को बन्द करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 2 शोजी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के लिये कहता है कि इस भूमि को मैंने ले लिया है इसकारण मैं तुम्हारा रास्ता बन्द करूंगा। दिनांक 3/05/2018 को वादीगण अपने खेत पर गये तो प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के आडे फिर गये और कहा कि इस रास्ते मे होकर नहीं निकलने देगे और कहा कि तुम्हारे वर्षों पुराने रास्ते को हम जबरन ताकत के बल पर बन्द करके रहेगें। यही वाद कारण है। वादीगण का खसरा संख्या 2754 में 25 फिट चौड़ा तथा पूर्व पश्चिम उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 2753 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये वादीगण खसरा संख्या 2754 के खातेदार प्रतिवादीगण को न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे खसरा संख्या 2754 में होकर निकल रहे वादीगण के आम रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे तथा वादीगण के आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे । वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण स्वर्ण हिन्दू है जिनका वादीगण ताकत के बल पर का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया तो वादीगण का अपने खेत पर जाना दूभर हो जायेगा तथा उक्त रास्ते के अलावा वादीगण की भूमि खसरा संख्या 2753 पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिससे वादीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे, कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 2754 में से 25 फिट चौड़ा तथा पूर्व पश्चिम उत्तरी मेड के सहारे सहारे सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा संख्या 2753 तक पहुंचने का रास्ता ही एक मात्र रास्ता होने से नियमानुसार राशि जमा करवाकर आम रास्ता घोषित किया जावे तथा उक्त अंकन समस्त राजस्व रिकार्ड में फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वे खसरा संख्या 2754 में होकर निकल रहे वादीगण के आम रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे तथा वादीगण के आने जाने में

किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे । अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2020 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 2756 व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2754 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व मे जानकारी नही रही है और दिनांक 24.06.2024 को कार्यालय तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी का अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट तहसील नैनंवा मे दिनांक 27.06.2024 को गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2024 को होने पर जिस पर अपीलांट ने सम्यक तत्परता बरतते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिंनाक 26.02.2020 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.06.2024 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 02.07.2024 को नकल तैयार कर उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2020 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2024 से नकल मिलने की दिनांक 02.07.2024 के दिन मुजरा करने व रूपये पैसे का इंतजाम कर अपील सर्वप्रथम जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 26.02.2020 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2024 को होने व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्त

करने हेतु दिनांक 27.06.2024 को आवेदन करने व नकल मिलने की दिनांक 02.07.2024 तक की समस्त अवधि कंडोन की जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाने की कृपा करे। अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एव संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट नं० 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रार्थना पत्र में तब्दील कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–अ एवं 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार फरमाकर ग्राम बासी तहसील नैनवा जिला बून्दी मे प्रार्थी/ रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 2747 एंव 2753 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि तक पहुंचने के लिये अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2754 वाके ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी की भूमि मे से परिशिष्ट–क नक्शा ट्रेस के अनुसार भूमि पर रास्ता कायम किये जाने का त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त मोका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र भी जारी नहीं किए गए। रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दिए जाने के कारण प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित नहीं हो सका। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 5 को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिये पूर्व में ही खसरा नम्बर 2656 व 2755 मे होकर खसरा नम्बर 2753 पर पहुंचने का रास्ता प्राप्त है। न्याय का सिद्धान्त है कि यदि पूर्व मे रास्ता प्राप्त हो तो नया रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 5 को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये पूर्व मे रास्ता प्राप्त है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 5 अपनी भूमि पर आने जाने के लिये कर रहा है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि शत प्रतिशत आवश्यकता होने पर ही रास्ता कायम किया जा सकता है केवल सुविधा के लिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ

न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2754 वाके ग्राम बासी में से रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 5 की सुविधा के लिये रास्ता कायम किये जाने का निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमो का उल्लघन कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने मात्र अपनी सुविधा व अपीलाण्ट को तंग व नुकसान कारित करने के उद्देश्य से मिथ्या कथन अंकित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 251 ए, 188 आर०टी०एक्ट का प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2754 में से रास्ता चाहता है। जबकि रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 5 के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिये रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को प्रार्थना पत्र में तब्दील कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। आराजी खसरा नम्बर 2774 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 2753 रकवा 9 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके गाम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 ने अपने हिस्से की भूमि का बैचान रेस्पोडेंट कम 4 व 5 व छोटूलाल, रामलाल, सीताराम को कर दिया है वर्तमान मे उक्त वर्णित आराजी उक्त व्यक्ति के ही खातेदारी मे दर्ज है और रेस्पोडेंट कम लगायत 3 के उक्त आराजी वर्तमान में खातेदारी मे दर्ज भी नही है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 निरस्त किए जाने एंव रेस्पोडेण्ट नं. 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 संलग्न है। अपीलांट का कथन है कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट मोके पर उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त मोका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट व अन्य पक्षकारान को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई अतः अपीलांट को प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने के दौरान मोके पर उपस्थित नहीं हो सके। प्रश्गनत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 पर अपीलांट व अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है । अतः हमारे मत में अपीलांट का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 तैयार किए जाने के दौरान अपीलांट व अन्य पक्षकार मोके पर उपस्थित नहीं थे तथा उक्त रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंन्त्रित करेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का कानूनन यह उत्तरदायित्व था कि वह सक्षम अधिकारी से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विवादित रास्ते की रिपोर्ट तैयार करवाये तथा उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 पर केवल हल्का पटवारी के हस्ताक्षर अंकित है अतः प्रश्नगत रिपोर्ट केवल हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी से रिपोर्ट तैयार नहीं करवाकर अपीलांट व अन्य पक्षकारान की अनुपस्थिति में केवल हल्का पटवारी से रिपोर्ट तैयार करवाई गई है जो राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है। प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 26.08.2019 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 46/2018 में पारित निर्णय 26.02.2020 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ

<u>अपील संख्या 2024/163</u>

<u>रामदेव बनाम गिर्राज वगै0</u>

विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
कोटा